

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31/2020 पीडीआर एक्ट

उनवान

नगर परिषद भीलवाड़ा जरिये आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

लादू लाल माली पिता नानूराम माली, निवासी शिव मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 41, विजय सिंह पथिक नगर भीलवाड़ा।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952

1. अधिवक्ता प्रार्थी – राजेन्द्र कचौलियों, छोटूलाल माली उपस्थित।
2. अधिवक्ता विपक्षी – शहजाद मोहम्मद रंगरेज अनुपस्थित।



निर्णय

दिनांक : 07/01/2026

- 1- प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि— प्रार्थी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2019-20 के लिये विज्ञापन होर्डिंग/विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनांक 06.02.2019 को लगाई गई जिसमें विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 04, 11, 62 व 92 के लिये निलामी बोली छुड़ाई गई।
- 2- विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली ने प्रार्थी के यहाँ निलामी बोली छुड़ाने के बाद उसकी कोई बकाया राशि जमा नहीं कराई और सत्र 2019-20 के लिये विज्ञापन होर्डिंग/विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन को काम लेकर विज्ञापन लगाने लगे और लोगों से पैसा लेने लगे परन्तु कोई राशि प्रार्थी के यहाँ जमा नहीं कराई।
- 3- प्रार्थी के कार्यालय के यहाँ से विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली को कही नोटिस जारी किये गये जिनका विवरण निम्न है—पत्र क्रमांक/नपभी/राजस्व/2019/17643 दिनांक 21.02.2019, नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2019/822 दिनांक 12.04.2019 व नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2019/2576 दिनांक 30.05.2019 व नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2020/20676 दिनांक 24.01.2020 व अन्तिम नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2020/4944-49 दिनांक 23.06.2020 उक्त सभी नोटिस को जारी कर दिया प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद ही में होगा 4116202 के लिये निलामी बोली छुड़ाई उसकी बकाया राशि कुल 2,45,399/- मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत बकाया है को जमा कराने हेतु जारी किया गया था।
- 4- विपक्षी को प्रार्थी द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी विपक्षी लादू लाल माली द्वारा कोई राशि प्रार्थी कार्यालय नगर परिषद भीलवाड़ा के यहाँ जमा नहीं कराई है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त सरकारी बकाया राशि की वसूली हेतु प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

- 5- विपक्षी मदयून का माल, बैंक खाते से व घन, बैंक नोट बैंक विनिमय पत्र हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जावे।

अतः प्रार्थी की ओर प्रस्तुत वसूली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली से सत्र 2019-20 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिंग साईड संख्या 04, 11, 62 व 92 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 2,45,399/- मय ब्याज व जी.एस.टी.सहीत वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे तथा वसूल नहीं होने पर विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातों से व घन, बैंक नोट बैंक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

- 6- बाद जांच प्रकरण दिनांक 27.08.2020 को पजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाने पर आदेशिका दिनांक 11.11.2025 से जवाब बंद किया गया। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन पर पत्रावली में आदिनांक तक कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि- विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली से सत्र 2019-20 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिंग साईड संख्या 04, 11, 62 व 92 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 2,45,399/- मय ब्याज व जी.एस.टी.सहीत वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे तथा वसूल नहीं होने पर विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातों से व घन, बैंक नोट बैंक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।



- 7- उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि- प्राथी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2019-20 के लिये विज्ञापन होर्डिंग/विधूत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनांक 06.02.2019 को लगाई गई, जिसमें विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 04, 11, 62 व 92 के लिये निलामी बोली छुडाई गई। प्रार्थी द्वारा विपक्षी लादू लाल माली पिता श्री नानूराम जी माली को कई नोटिस जारी किये गये। जिसकी बकाया राशि कुल 2,45,399/- मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत बकाया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 (पीडीआर एक्ट) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव-


जिला कलक्टर
मीरठ

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार किया जाता है। विपक्षी लादू लाल माली पिता नानूराम माली, निवासी शिव मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 41, विजय सिंह पथिक नगर भीलवाडा, जिला भीलवाडा से 2,45,399/- रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहित वसूली योग्य ठहरती है। मांग राशि 2,45,399/- रूपये के 02 प्रतिशत खर्चा राशि वसूल करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा अनुभाग जिला कलेक्ट्रेट, भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड नगर निगम, भीलवाडा जरिये आयुक्त, नगर निगम भीलवाडा को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलेक्टर
भीलवाडा

